

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (2) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित एल.एच.व्ही. /पर्यवेक्षक (महिला) को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	प्रस्तावित पदस्थापना स्थल का नाम	आधार
1	2	3	5	4
1	श्रीमति तारामंडल	सेक्टर मरदा, सामु.स्वा. केन्द्र लवन, जिला बलौदाबाजार।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी गरियाबंद के अधीन।	प्रशासकीय
2	श्रीमती सरस्वती वैष्णव	सामु. स्वा. केन्द्र जिला मुंगेली	सामु.स्वा. केन्द्र भाटापारा, जिला बलौदाबाजार	स्वयं के व्यय पर
3	श्रीमति बिन्दु देवनाथ	सामु.स्वा. केन्द्र बेमेतरा, जिला बेमेतरा।	प्राथ.स्वा. केन्द्र परपोड़ी, वि.ख. साजा, जिला बेमेतरा	प्रशासकीय
4	श्रीमति सीता चक्रवर्ती	प्राथ.स्वा. केन्द्र कोटाडोल, जिला कोरिया।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बलरामपुर के अधीन।	प्रशासकीय
5	श्रीमती अनिता राय	प्राथ. स्वा. केन्द्र कोरकोमा जिला कोरबा	प्राथ. स्वा. केन्द्र हाटी, जिला रायगढ़	स्वयं के व्यय पर
6	श्रीमती उर्मिला भगत	प्राथमिक स्वा. केन्द्र कुदमुरा जिला कोरबा	प्राथ.स्वा. केन्द्र चाला, जिला रायगढ़	स्वयं के व्यय पर
7	अपर्णा नाथ	सेक्टर खैरा डगनिया सामु. स्वा. केन्द्र बिल्हा जिला बिलासपुर	सेक्टर लगरा सामु.स्वा. केन्द्र बिल्हा जिला बिलासपुर	स्वयं के व्यय पर

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानान्तरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

UT/...

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

U. Jaiswal
(एम.एल. ताम्रकार)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (2)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित
..... की ओर सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. स्टॉक फाईल।

U. Jaiswal
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

U